कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 110/2020 दिनांक: नवम्बर, 17/2020

प्रेस नोट

01 अदद नाजायज तमन्चा व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गुलशन पटेल को थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

दिनांक 16.11.2020 को थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर काली मन्दिर के पास से गुलशन पटेल पुत्र बबलू पटेल निवासी दौलतपुर पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी उम्र 20 वर्ष को समय करीब 21.20 बजे गिरफ्तार किया गया।, जिसके कब्जे से एक अदद नाजायज तमन्चा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 243/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- गुलशन पटेल पुत्र बबलू पटेल निवासी दौलतपुर पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी उम्र 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- एक अदद नाजायज तमन्चा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 राजकुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी पाण्डेयपुर, उ0नि0 आदित्य कुमार सिंह, का0 देवमणि त्रिपाठी व का0 हरेन्द्र सिंह थाना लालपुर-पाण्डेयपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

थाना
मिशन
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
ARMSTRONG
Shot on realme 2
By @j@y

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 111/2020 दिनांक: नवम्बर, 17/2020

प्रेस नोट

दिनांक 16.11.2020 को थाना दशाश्वमेध पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर हार जीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तो से जुआ खेल रहे 03 व्यक्तियों 1. अमरनाथ कसेरा पुत्र नन्दू प्रसाद निवासी डी 17/22 भूतेश्वर गली थाना दशाश्वमेध वाराणसी, 2. दीपक कुमार कसेरा पुत्र स्व0 दिलीप कुमार निवासी डी 17/23 भूतेश्वरगली थाना दशाश्वमेध वाराणसी व 3. भरत लाल पुत्र स्व0 केशव प्रसाद निवासी डी 17/20 भूतेश्वरगली थाना दशाश्वमेध वाराणसी को भूतेश्वरगली नादू के मकान के पास से समय करीब 11.10 बजे गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से कुल 8,000/- रू0 व ताश के 52 पत्ते बरामद हुए। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना दशाश्वमेध पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 69/2020 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अमरनाथ कसेरा पुत्र नन्दू प्रसाद निवासी डी 17/22 भूतेश्वर गली थाना दशाश्वमेध वाराणसी
2. दीपक कुमार कसेरा पुत्र स्व0 दिलीप कुमार निवासी डी 17/23 भूतेश्वरगली थाना दशाश्वमेध वाराणसी
3. भरत लाल पुत्र स्व0 केशव प्रसाद निवासी डी 17/20 भूतेश्वरगली थाना दशाश्वमेध वाराणसी

बरामदगी का विवरण-

1. कुल 8,000/- रू0 नगद
2. ताश के 52 पत्ते

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 दिलेश सरोज, उ0नि0 अखिलेश कुमार वर्मा, हे0का0 पप्पू कुमार, का0 सुधीर सिंह, का0 नरेन्द्र कुमार तिवारी व का0 प्रवीण सिंह थाना दशाश्वमेध वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस
कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 112/2020 दिनांक: नवम्बर, 17/2020

प्रेस नोट

दिनांक 16.11.2020 को थाना सिगरा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मु0अ0सं0 534/2020 धारा 147/323/332/353/504 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त तुफैक पुत्र स्व0 लाल मोहम्मद उर्फ लल्लू निवासी- म0नं0 डी 64/139 माधोपुर थाना सिगरा वाराणसी उम्र 22 वर्ष को जवाहर नगर तिराहे से समय करीब 23.53 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- तुफैक पुत्र स्व0 लाल मोहम्मद उर्फ लल्लू निवासी- म0नं0 डी 64/139 माधोपुर थाना सिगरा वाराणसी उम्र 22 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 हरिश्चन्द्र वर्मा, हे0का0 अजय सिंह व का0 यशवन्त भारती थाना सिगरा जिला वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 113/2020 दिनांक: नवम्बर, 17/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 17.11.2020 को थाना शिवपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0650/2020 धारा 323/504/506/336/308/304 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. विक्रम गौड़ पुत्र शंकर गौड़ निवासी एस 29/240 पंचकोशी रोड थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष व 02. शंकर गौड़ पुत्र स्व0 विशुन गौड़ निवासी एस 29/240 पंचकोशी रोड थाना शिवपुर वाराणसी को पुरानी चुंगी के पास से समय करीब 13.35 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. विक्रम गौड़ पुत्र शंकर गौड़ निवासी एस 29/240 पंचकोशी रोड थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष
2. शंकर गौड पुत्र स्व0 विशुन गौड निवासी एस 29/240 पंचकोशी रोड थाना शिवपुर वाराणसी उम्र 50 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 दान बहादुर पाल व हे0का0 मनोज कुमार शुक्ला थाना शिवपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 114/2020 दिनांक: नवम्बर, 17/2020

प्रेस नोट

गैंग लीडर सुजीत सिंह द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपने व अपनी पत्नी के नाम से क्रय की गई सम्पत्ति/भूमि अनुमानित कीमत 5,49,57,600/- रू0 (पाँच करोड उन्चास लाख सत्तावन हजार छः सौ रूपये) की गैंगेस्टर एक्ट की धारा-14 (1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

थाना फूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-286/2020 धारा 3 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 से सम्बन्धित गैंग लीडर सुजीत सिंह पुत्र राधेश्याम सिंह निवासी ग्राम बेलवा थाना फूलपुर जनपद वाराणसी, जो एक शातिर किस्म का अपराधी है। अभियुक्त उपरोक्त अपराध जगत में सक्रिय रहकर अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों को आर्थिक एवं भौतिक लाभ पहुँचाने का कार्य करता है। अभियुक्त सुजीत सिंह द्वारा आपराधिक कृत्यो से अर्जित धनराशि से अपने व अपनी पत्नी के नाम से लगभग 5,49,57,600/- रू0 (पाँच करोड उन्चास लाख सत्तावन हजार छः सौ रूपये) कीमत की निम्नलिखित सम्पत्ति/भूमि क्रय की गयी-

1) *ग्राम बेलवा में आ0 नं0 822/2 क्षेत्रफल 0.8560 हे0 जिसकी वर्तमान कीमत 1,88,32,000/- रूपये है जो अभियुक्त सुजीत सिंह के नाम दर्ज है।*
2) *ग्राम बेलवा आ0नं0 822/1 क्षेत्रफल 0.315 हे0 जिसकी वर्तमान कीमत 77,22,000/- रूपये है जो अभियुक्त की पत्नी नीलम सिंह के नाम दर्ज है।*
3) *ग्राम बेलवा में आ0नं0 169 क्षेत्रफल 0.466 हे जिसकी कीमत 87,48000/- रूपये है जो अभियुक्त की पत्नी नीलम सिंह के नाम से दर्ज है।*
4) *ग्राम बेलवा आ0नं0 174 क्षेत्रफल 0.146 हे0 जिसकी कीमत 26,28,000/- रूपये है जो अभियुक्त की पत्नी नीलम सिंह के नाम से दर्ज है।*
5) *ग्राम बेलवा आ0न0 865 क्षेत्रफल 0.0880 हे0 जिसकी वर्तमान कीमत 14,08,000/- रूपये है जो अभियुक्तत की पत्नी नीलम सिंह के नाम से दर्ज है।*
6) *ग्राम बेलवा आ0नं0 1058 क्षेत्रफल 0.0130 हे0 जिसकी वर्तमान कीमत 2,86,000/- रूपये है जो अभियुक्त की पत्नी नीलम सिंह के नाम से दर्ज है।*
7) *ग्राम बेलवा आ0नं0 350 क्षेत्रफल 0.5790 हे0 जिसकी वर्तमान कीमत 1,27,38,000/- रूपये है जो अभियुक्त की पत्नी नीलम सिंह के नाम से दर्ज है।*
8) *ग्राम लखमीपुर आ0नं0 159 क्षेत्रफल 0.2060 हे0 जिसकी वर्तमान कीमत 25,95,600/- रूपये है अभियुक्त की पत्नी नीलम सिंह के नाम से दर्ज है।*

जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा उक्त सम्पत्ति/भूमि को कुर्क करने सम्बन्धी प्राप्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 17.11.2020 को क्षेत्राधिकारी पिण्डरा के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना

फूलपुर/सिन्धौरा, थानाध्यक्ष चोलापुर द्वारा मय हमराह पुलिस बल व राजस्व टीम के उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 से संबंधित अभियुक्त सुजीत सिंह की उपरोक्त सम्पत्ति/भूमि जिसकी अनुमानित कीमत रु0-5,49,57,600/- है, की गैगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत गवाहों के समक्ष डुगडुगी पिटवाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

<u>*पुलिस टीम का विवरण–*</u>

- प्रभारी निरीक्षक सिन्धौरा रमेश यादव, प्रभारी निरीक्षक फूलपुर सनवर अली, थानाध्यक्ष चोलापुर महेश कुमार सिंह, उ0नि0 विवेक कुमार पाठक, का0 राजू सोनकर, का0 सुनील यादव, का0 बृजभूषण यादव, का0 प्रदीप यादव, म0का0 नित्या सिंह व म0का0 पूजा सोनकर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

जिलाधिकारी वाराणसी महोदय के आदेशानुसार

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 115/2020 दिनांक: नवम्बर, 17/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति"* अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 17.11.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियों/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरुकता अभियान चलाते हुए 187 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 5589 महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 1003 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 98 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 772 महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक किया गया तथा मनचलों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 व्यक्तियों के विरूद्ध 34 पुलिस एक्ट में कार्यवाही, 02 व्यक्ति के विरूद्ध 290 भादवि की कार्यवाही, 04 के विरूद्ध एमवी एक्ट में चालान, 13 के विरूद्ध 151 सीआरपीसी में चालान तथा 138 मनचलों को हिदायत दी गयी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 116/2020 दिनांक: नवम्बर, 17/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 17-11-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 78 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *17 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। बिना मास्क धारण किये *कुल 544 व्यक्तियों से रु0-16,600/- जुर्माना* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1756 वाहनों का चालान, 16 वाहनों को सीज तथा 146 वाहनों से रु0-1,45,600/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।